संख्या– 238 /V–2–2016–132(आ0)2015

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– संयुक्त प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2– सचिव,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

3– सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून/नैनीताल।

आवास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 08 फरवरी, 2016

विषय– उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–46/प्र0स0/MSME/2016 दिनांक 12.01.2016 (प्रतिसंलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां/अनापत्तियां/अनुज्ञापन आदि समयबद्ध आधार पर जारी करने हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव

संख्या– 238 /V–2–2016–132(आ0)2015–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सं0–46/प्र0स0/MSME/016 दिनांक 12.01.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

200
11-2-16

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

प्रमुख सचिव/सचिव,
श्रम एवं कारखाना/ वाणिज्यकर/ आवास एवं शहरी विकास/पेयजल/वन/ऊर्जा/राजस्व/तकनीकी शिक्षा/ पर्यटन/उद्यान/ आबकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म/भार एवं माप, उत्तराखण्ड।

संख्याः 46/उ०स०/MSME/2016, दिनांकः 12 जनवरी, 2016

विषयः— उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नोडल अधिकारी नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ/अनुज्ञापन आदि समयबद्ध आधार पर जारी करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012"** की धारा 11 के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में प्रधान कार्यालय तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने का प्राविधान किया गया है। ये नोडल अधिकारी अपने स्तर से उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां/अनापत्तियां/अनुज्ञापन आदि समयबद्ध आधार पर जारी करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

2. इस सम्बन्ध में उद्योग निदेशालय द्वारा विभागध्यक्षों से पूर्व में पत्र संख्या 2509–सी दिनांक 24 सितम्बर, 2015 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 3493 दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के माध्यम से सूचना चाही गयी थी परन्तु आतिथि तक आपके विभाग से सूचना अप्राप्त है।

उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अपने प्रधान कार्यालय स्तर तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की सूचना निम्न प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुये प्रतिलिपि उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ऑनलाईन व्यवस्था में आपके विभाग हेतु **User log-in ID** तथा पासवर्ड सृजित किया जा सके।

क्रम सं0	नोडल अधिकारी का नाम	कार्यालय का पता	प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियां/अनापत्तियां/अनुज्ञापन आदि का (के) नाम	ई–मेल आईडी	फोन नं0

(डॉ० बी० षणमुगम)
अपर सचिव,
आवास
उत्तराखण्ड शासन।

(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव,
आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

3. उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की अधिसूचना संख्या 2443/VII–2/2015/66–एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुज्ञापनों, व अनुज्ञायें प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 की व्यवस्था दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से लागू की गई है। अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमो को जारी की जानी वाली स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ/अनुज्ञापन आदि के आवेदन जिला नोडल ऐजेंसी/राज्य नोडल ऐजेंसी के माध्यम से प्राप्त कर सम्बन्धित विभागों को अग्रेसित किये जाने का प्राविधान है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित जारी की जाने वाली स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ/अनुज्ञापन आदि के आवेदन सीधे प्राप्त करने के स्थान पर अधिनियम के प्राविधानानुसार एकल खिड़की के माध्यम से भरे जाने हेतु उद्यमियों को सूचित एवं प्रोत्साहित करने का कष्ट करें। एकल खिड़की से सम्बन्धित अधिनियम, नियमावली तथा समय सारणी विभाग की वेबसाईट www.doiuk.org पर उपलब्ध है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृ.सं. /उक्त, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।